


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2004
25

आज यह पत्रावली पेश हुई। जोर भी
 उप. नहीं। मूल दावा अफ. मह. जरी
 अफ. म. पें. रबी मं. खारिज हो चुका है
 अतः प्रार्थना पत्र 212 से आगे
 चलाने का कोई भी निष्पत्ती है
 इस लिए प्रार्थना पत्र 212 से
 आगे चलाने का कोई भी निष्पत्ती
 है। अतः प्रार्थना पत्र 212 की स्तर
 पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
 मूलतः शुमार होकर नम्बर से न
 होकर फा. मिल पत्र हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)